सलग्न-10

कार्यालय वन संरक्षक,अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः /14–1, दिनांकःअलीगढः 30/10/2019

वन (संरक्षण) रूल्स, 2003 की धारा 9 (1) के अन्तर्गत नोटिस

सेवा में,

प्रभागीय प्रबन्धक,
नायरा एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में एस्सार ऑयल लि),
ब्लर्ड ट्रेड टावर,
1105–06, ग्यारवां तल,
सेक्टर 16, नोएडा– 201301।

विषय : **वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करने की दशा में वन (संरक्षण) नियमावली के अन्तर्गत नोटिस।**

संदर्भः प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ का पत्र सं0 1574/14–10 दिनांक 25.10.2019

आप की संस्था द्वारा श्री प्रशांत कुमार आर्य पुत्र श्री धर्मवीर सिंह, निवासी– ग्राम सुखरावली पोस्ट–क्वार्सी, जिला–अलीगढ़ को Letter of Appointment सं0 UP-W-1701 dated 27.02.2015 द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0– 1470, तहसील–कोल में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धित प्रस्ताव Proposal No. FP/UP/Others/13881/2015 प्रेषित किया गया था। आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए, प्रस्ताव उ0प्र0 शासन द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया। जिस पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/34/2018/एफ0सी0/30 दिनांक 12.04.2018 द्वारा आपत्तियां लगायी गयी हैं। **प्रस्तावित वनभूमि के के0एम0एल0 फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है।** प्रस्तावित स्थल की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ एवं क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा की गयी, जिसमें पाया गया कि एस्सार ऑयल लि0 द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति के रिटेल आउटलेट को आने–जाने वाले प्रवेश मार्ग व निकास मार्ग पर 0.0768 हे0 संरक्षित वन भूमि में पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड का प्रयोग किया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिना सक्षम स्तर से नियमानुसार अनुमति प्राप्त किए ही संरक्षित वन क्षेत्र में वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग करके कार्य पूर्ण किया गया है, जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 का उल्लघन है।

वन कर्मियो के क्षेत्रीय निरीक्षण दिनांक 23.02.2019 के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0–1470, तहसील–कोल पर भारत सरकार से पूर्वानुमति के बिना आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किया गया है। इस परिपेक्ष्य में अलीगढ़ रेंज द्वारा रेंज केस सं0 32/18–19/अलीगढ़ दि0 23.02.2019 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32/33 के तहत जारी की गई। उक्त तथ्य का प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 23.10.2019 को स्वयं निरीक्षण कर पुष्टि भी की गयी।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य भारत सरकार ,वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पूर्वानुमति के बिना नही कराया जा सकता है एवं आपकी संस्था द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के निर्माण कार्य करके न सिर्फ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32/33 का वरन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का भी उल्लंघन किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि 60 दिनो के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर सक्षम न्यायालय में धारा–3बी में आपके विरूद्ध बाद चलाया जाय? निर्धारित अवधि तक उत्तर प्राप्त न होने पर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

3668
141
02-11-19

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 1432/14–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

D/M-

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

प्रमाणित

Divisional Director
Social Forestry Division
Aligarh

01-11-19

C:\Users\ok\Documents\D.Man-1\Land Transfer Projects\Retail Outlets\Pending\No inprinciple\Petrol Pump Ukhlana\CA Scheme.doc